भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

महाराष्ट्र MAHARASHTRA ◑ 2025 ◑ 46AB 165743

दस्ताचा प्रकार/ [illegible]
दस्त नोंदणी [illegible]?
असल्यास [illegible] नाव-
मिळकत [illegible]
दुसऱ्या पक्षकाराचे नाव-
मुद्रांक [illegible]
दुसऱ्या पक्षकाराचे नाव-
हस्ते असल्यास [illegible] पत्ता-
मुद्रांक शुल्क रक्कम-
विक्री क्रमांक [illegible] दिनांक-
मुद्रांक [illegible] सही-

(ज.ज.फडतरे) सही-

परवाना क्रमांक - २३०५[illegible]

तहसिल कार्यालय खटाव (वडूज)

10 JUL 2025

PRINCIPAL
Arts & Commerce College,
Pusegaon, Tal. Khatav (Satara)

समन्वय अनुबंध

(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)

रयत शिक्षण संस्था, सातारा संचलित

छत्रपति शिवाजी कॉलेज,सातारा (स्वायत्त)

इकाई महाविद्यालय – कर्मवीर भाऊराव पाटील विश्वविद्यालय, सातारा

तथा

कला,वाणिज्य महाविद्यालय,पुसेगाँव

पद्मभूषण डॉ. कर्मवीर भाऊराव पाटील द्वारा स्थापित रयत शिक्षण संस्था, सातारा महाराष्ट्र की ही नहीं तो एशिया खंड की सबसे बडी अग्रगण्य शैक्षिक संस्था है I रयत शिक्षण संस्था का पहला कॉलेज छत्रपति शिवाजी कॉलेज, सातारा है I इस कॉलेज की स्थापना 1947 की है I नॅक बेंगलोर द्वारा इस कॉलेज को A+ ग्रेड (CGPA 3.51) मिला है I पूर्ण कला शाखा का यह कॉलेज शैक्षिक वर्ष 2019–2020 से स्वायत्त हुआ है I यह कॉलेज वर्ष 2021 से कर्मवीर भाऊराव पाटील विश्वविद्यालय, सातारा का इकाई महाविद्यालय के रूप में कार्यरत है I इसमें स्नातक, स्नातकोत्तर और पीएच. डी. के अध्ययन और अनुसंधान की सुविधा है I छत्रपति शिवाजी कॉलेज की एक गौरवशाली परंपरा है I

पद्मभूषण डॉ. कर्मवीर भाऊराव पाटील द्वारा स्थापित रयत शिक्षण संस्था, सातारा महाराष्ट्र की ही नहीं तो एशिया खंड की सबसे बडी अग्रगण्य शैक्षिक संस्था है I रयत शिक्षण संस्था, सातारा का संचालित कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, पुसेगाँव है I इस कॉलेज की स्थापना 1994 की है I नॅक बेंगलोर द्वारा इस कॉलेज को A+ ग्रेड (CGPA 2.98) मिला है I कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, पुसेगाँव के हिंदी विभाग की भी एक गौरवशाली परंपरा है I देश और विदेश के बौद्धिक वातावरण को सकारात्मक दिशा की ओर ले जानेवाला पुसेगाँव कॉलेज का हिंदी विभाग है I

अत: हिंदी विभाग, छत्रपति शिवाजी कॉलेज और कला, वाणिज्य महाविद्यालय, पुसेगाँव का हिंदी विभाग के बीच दिनांक: 11 जुलाई, 2025 को पांच साल के लिए समन्वय अनुबंध (सामंजस्य करार) हो रहा है I इस अनुबंध का उद्देश्य निम्नलिखित हैं –

उद्देश्य –

1. राष्ट्रभाषा हिंदी के प्रचार–प्रसार हेतु परस्पर सहायता प्रदान करना I
2. एक दूसरे के ज्ञान स्रोतों का आदान–प्रदान करना I
3. हिंदी भाषा, साहित्य एवं संस्कृति के संवर्धन हेतु विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करना I
4. वैश्विक स्तर के हिंदी प्रेमियों से जुडकर छात्र तथा अध्यापक के बौद्धिक विकास में सहयोग देना I

नियम –

1. स्व आर्थिक व्यय से एक–दूसरे को सहयोग देना I
2. छत्रपति शिवाजी कॉलेज, सातारा के हिंदी विभाग द्वारा आयोजित विषय विशेषज्ञों के व्याख्यान, कौशल आधारित कोर्सेस, संगोष्ठियाँ, परिसंवाद, प्रतियोगिताएँ, अध्ययन यात्रा एवं कार्यशाला के आयोजन को हिंदी साहित्य भारती यह संस्था बौद्धिक सहायता करेगी I
3. पुसेगाँव कॉलेज द्वारा आयोजित राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय समारोह, संगोष्ठियाँ, परिसंवाद, साक्षात्कार आदि के लिए छत्रपति शिवाजी कॉलेज, सातारा के हिंदी विभाग के छात्र और शिक्षक सक्रिय बौद्धिक योगदान देंगे I
4. समन्वय अनुबंध के शर्तों का आवश्यकतानुसार नूतनीकरण करना I
5. पूर्व लिखित सूचना के साथ दोनों में से किसी भी संस्था को अनुबंध समाप्ति का अधिकार रहेगा I
6. परस्पर सम्मति से निर्धारित कालावधि के बाद फिर से पाँच सालों के लिए यह समन्वय अनुबंध जारी रखा जा सकता है I दिनांक : 11 जुलाई 2025 से 10 जुलाई 2030 तक यह करार निश्चित किया गया है I

समन्वय –

प्रस्तुत समन्वय अनुबंध के जिम्मेदार प्रधानाचार्य, छत्रपति शिवाजी कॉलेज, सातारा तथा कला,वाणिज्य महाविद्यालय, पुसेगाँव के प्रधानाचार्य रहेंगे I

प्रस्तुत समन्वय अनुबंध कानूनन प्रावधानों के साथ दो प्रतियों में कार्यान्वित हो रहा है I उपर्युक्त समन्वय अनुबंध मान्य है।

प्रो.(डॉ.) सविता मेनकुदळे
अध्यक्ष, हिंदी विभाग,
छत्रपति शिवाजी कॉलेज, सातारा

Head
Department of Hindi,
Chh. Shivaji College, Satara

प्र. प्राचार्य
कला व वाणिज्य महाविद्यालय
पुसेगांव, ता. खटाव जि. सातारा
कला,वाणिज्य महाविद्यालय, पुसेगाँव

[illegible]
छत्रपति शिवाजी [illegible],
सातारा.

प्रा. डॉ. संदीप किर्दत
समन्वयक,
कौशल विकास केंद्र,
छत्रपति शिवाजी कॉलेज,
सातारा (स्वायत्त)

प्रा.श्रीमती रावन मुल्ला
अध्यक्ष, हिंदी विभाग,
कला,वाणिज्य महाविद्यालय, पुसेगाँव

CHHATRAPATI SHIVAJI COLLEGE
SATARA